

जन सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्रस्तावित खनन परियोजना (मेसेनरी स्टोन) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, रेफेरन्स नं. – 20211000046069, क्षेत्रफल – 1.9738 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल – 9.9738 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम—दुजार, तहसील – लाड्नूं जिला – नागौर (राजस्थान) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लाड्नूं जिला नागौर की अध्यक्षता में दिनांक 03.03.2023 को दोपहर 11:00 बजे भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी.सेन्टर), गांव—दुजार, तहसील—लाड्नूं, जिला—नागौर (राजस्थान) में आयोजित जन सुनवाई की कार्यवाही (**Minutes**) का विवरण :—

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसरण में कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2023/335 दिनांक 16.01.2023 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, नागौर के पत्र क्रमांक राप्रनिम/आरओ—नागौर/पी.यू.बी.— 146/2001 दिनांक 18.01.2023 के अनुपालना में मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, प्रस्तावित खनन परियोजना (मेसेनरी स्टोन) के खनन की कलस्टर मय खनन् परियोजना, रेफेरन्स नं. – 20211000046069, क्षेत्रफल – 1.9738 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम) एवं कलस्टर का कुल क्षेत्रफल – 9.9738 हैक्टेयर, कलस्टर की उत्पादन क्षमता – 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), ग्राम—दुजार, तहसील – लाड्नूं जिला – नागौर (राजस्थान) के खनन से सम्बन्धित जनसुनवाई दिनांक 03.03.2023 को आयोजित की गई। जन सुनवाई में उपस्थित सभी व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट संख्या 01 पर संलग्न है। जनसुनवाई की आम सूचना दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक नवज्योति समाचार पत्र एवं राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में दिनांक 23 जनवरी 2023 (सोमवार) को प्रकाशित की गई थी जिसकी प्रति परिशिष्ट संख्या 02 पर संलग्न है।

जनसुनवाई के प्रारम्भ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी श्रीमती सविता ने सभी आंगतुकों का स्वागत किया। तत्पश्चात श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी, लाडनूँ जिला नागौर की अनुमति से जनसुनवाई प्रारम्भ की गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर ने जनसुनवाई के प्रावधान, उद्देश्य एवं महत्व तथा प्रस्तावित परियोजना के बारे में जानकारी दी एवं परियोजना के बारे में विस्तृत जानकारी देने हेतु पर्यावरणीय सलाहकार को जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को प्रस्तावित खनन परियोजना के बारे में विस्तार से अवगत कराने बाबत आमंत्रित किया।

परियोजना प्रबंधक की ओर से खनन परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार वाईब्रेंट टेक्नो लेब प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर के पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश कुमार शर्मा के माध्यम से जनसुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों एवं ग्रामवासियों/व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दी। खनन परियोजना के सम्बन्ध में, कलस्टर प्रमाण पत्र एवं नक्शा जानकारी, परियोजना की स्थिति, लोकेशन मैप, खनन पट्टे की गूगल इमेजनरी, परियोजना की प्रमुख विशेषताएं, परियोजना का विवरण, क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति का विवरण, परिवहनभार, पर्यावरण संरक्षण उपाय, खनन की समय सीमा समाप्ति पर भूमि का उपयोग, पर्यावरण प्रबंधन के साथ हरित पट्टिका का विकास, पर्यावरण प्रबंधन योजना (वायु, जल, ध्वनि, ठोस अपशिष्ट गुणवत्ता प्रबंधन,) व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रमिक कल्याण हेतु प्रस्तावित कार्य से संबंधित जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने बताया खनन योजना के दौरान ऑवर बर्डन के रूप निकलने वाले अपशिष्ट को अनुमोदित माइंनिंग प्लान के अनुसार इकट्ठा किया जायेगा एवं वृक्षारोपण द्वारा स्थिर किया जायेगा, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित खनन परियोजना से होने वाले प्रदूषण, उसके प्रबंधन तथा मण्डल मानकों के अनुरूप रोकथाम करने के प्रस्तावित प्रयासों से अवगत कराया। साथ ही वृक्षारोपण, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर.), व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गई।

श्रीमती सविता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर एवं श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी, लाडनूँ जिला नागौर की ओर से जनसुनवाई में

उपरिथित लोगों को अपने विचार/आपत्ति सुझाव प्रकट करने के लिए आंमत्रित किया गया।

इसी क्रम में उक्त खनन परियोजना से संबंधित उपरिथित व्यक्तियों में से कुछ विचार मौखिक रूप से व्यक्त किये गये जो निम्न प्रकार हैं:-


1. श्री भंवर सिंह निवासी ग्राम दुजार ने सुझाव व्यक्त किया की आस-पास क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।
2. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि परियोजना प्रस्तावक के द्वारा पर्यावरणीय सरक्षण के उपायों के तहत किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत खनिज परिवहन मार्ग के रखरखाव का प्रावधान रखा गया है जिसके हेतु 1.0 लाख रूपये प्रतिवर्ष एवं सामाजिक दायित्वों के तहत किये जाने वाले कार्यों के अन्तर्गत आस-पास के गांवों में सड़कों की मरम्मत हेतु 0.50 लाख रूपये प्रतिवर्ष व्यय करने का प्रावधान रखा गया है।
3. श्री राजेन्द्र स्वामी, पूर्व पंचायत सहायक ने पूछा कि जो भी बजट अथवा कार्य बताये गए है उनकी पालना कौन करेगा तथा पूर्व की परियोजनाओं द्वारा जो ध्वनि प्रदूषण होता है एवं खनिज को ट्रकों में ढक कर नहीं ले जाया जाता है तथा यह भी सुझाव दिया की जो भी कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणी एवं समाज कल्याण हेतु बताये गए है विभाग द्वारा इसका समय-समय पर निरीक्षण किया जाए क्यों की पूर्व की परियोजनाओं द्वारा इनकी पालना नहीं हो रही है तथा कहा की इस क्षेत्र में पूर्व कई वर्षों से बहुत सी मान्यता प्राप्त खनन परियोजनाएं चल रही हैं परन्तु डी.एम.एफ.टी. फण्ड द्वारा गाव के विकास हेतु कोई भी कार्य नहीं किया गया है तथा आग्रह किया कि खान विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा गांव के विकास हेतु डी.एम.एफ.टी. फण्ड का पैसा इसी क्षेत्र में लगाया जाये।
4. इस उपखण्ड अधिकारी, लाडनूँ ने भी बताये गए पर्यावरणीय एवं समाजिक कार्यों के बारे में पूछा की इनकी पालना कौन करेगा।
5. इस पर परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया की जो भी पर्यावरणीय एवं समाजिक कार्यों के बारे में बताया गया है जब इस परियोजना को पर्यावरणीय अन्नापत्ति प्रमाण प्रत्र प्राप्त होगा तब उसमें ये सभी बिन्दु सशर्त दिये जाते हैं तथा

उनकी पालना हेतु परियोजना प्रस्तावक बाध्य होता है एवं इस हेतु उसे प्रत्येक 6 माह में एक कम्पलाईन्स रिपोर्ट भी सम्बंधित विभागों में भेजनी होती है तथा अगर वह इसकी पालना नहीं करता है तो यह पर्यावरणीय अन्नापत्ति प्रमाण पत्र रद् करने का प्रावधान भी है। तथा जो भी कल्याण के कार्य डी.एम.एफ.टी. फण्ड द्वारा किये जाने चाहिए उस हेतु वे सक्षम विभाग अथव प्रशासन से कह सकते हैं।

जनसनुवाई से पहले, दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात उक्त खनन परियोजना से संबंधित कोई भी सुझाव / अभ्यावेदन / प्रार्थना पत्र लिखित में प्राप्त नहीं हुए हैं।


अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई के दौरान ग्रामवासियों / व्यक्तियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद के साथ श्रीमान श्री अनिल कुमार उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ नागौर की अनुमति से पर्यावरणीय जनसुनवाई की समाप्ति की घोषणा के साथ जन-सुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

श्री अनिल कुमार


उपखण्ड अधिकारी

लाडनूँ जिला नागौर (राज.)
(राज.)

श्रीमती सविता


क्षेत्रीय अधिकारी

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल नागौर,

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स किसान कन्सल्टेंट्स कम्पनी, गाँव-दुजार, तहसील-लाडनूँ जिला-नागौर के “मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेंस नं. - 20211000048069, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल - 1.9738 हेक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्लस्टर क्षेत्र 9.9738 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :— भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गाँव- दुजार, तहसील-लाडनूँ जिला-नागौर
जिला :— नागौर।

दिनांक :— 03.03.2023

समय :— प्रातः 11:00 बजे से

क्र.सं.	नाम व पता	मोबाइल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	Abhil Kumar SDM Ladkm	9460760009	3e
2.	Savita, RO, RSPCB, Nagaur	9983411222	(Savita)
3.	Giraj Gaur, RO, RSPCB	9549820647	Gaur
4.	Shivoleya Godarey	9549956601	(Shivoleya)
5.	प्रोफेशनल (प्रॉफेशनल) 9414085568 NJS Kitchen Construction (G.)	9414085568	(Signature)
6.	Unmesh Sharma (EN. Advisor) Vibrant Technologies Pvt. Ltd	8005797098	Unmesh
7.	Ravi Kumar Vibrant Techno Lab Pvt. Ltd	8005797098	Ravi Kumar
8.	मोहनराम यादव दुजार	8829997815	मोहनराम यादव
9.	मोहनराम यादव	9521253589	(Signature)
10.	दुष्टी खड्डी लोपा	9929905467	(Signature)
11.	मोहनराम यादव	9521253589	मोहनराम यादव
12.	मोहनराम यादव	9166567273	(Signature)
13.	मोहनराम यादव	9829948192	(Signature)
14.	(Signature)	9460652442	(Signature)

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, गांव-दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर के “मेसनरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेंस नं. 20211000048069, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोम), क्षेत्रफल - 1.9738 हैक्टेयर एवं कलस्टर उत्पादन क्षमता 709172 टन प्रतिवर्ष (रोम), कलस्टर क्षेत्र 9.9738 हैक्टेयर की पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :— भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव- दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला-नागौर
जिला :— नागौर।

दिनांक :— 03.03.2023

समय :— प्रातः 11:00 बजे से

15.	मुमुक्षु	9928249913	मुमुक्षु
16.	मुमुक्षु	9828251287	मुमुक्षु
17.	मुमुक्षु	7597440364	मुमुक्षु
18.	मुमुक्षु	8875530510	मुमुक्षु
19.	मुमुक्षु	9904804114	मुमुक्षु
20.	मुमुक्षु	6378460112	मुमुक्षु
21.	मुमुक्षु	9587562958	मुमुक्षु
22.	मुमुक्षु	9783273934	मुमुक्षु
23.	मुमुक्षु	8290353172	मुमुक्षु
24.	मुमुक्षु	9413117597	मुमुक्षु
25.	मुमुक्षु	8432248540	मुमुक्षु
26.	मुमुक्षु		मुमुक्षु
27.	मुमुक्षु	9521493081	मुमुक्षु
28.	मुमुक्षु	9413385568	मुमुक्षु
29.	मुमुक्षु		मुमुक्षु

उपस्थिति पत्रक

मैसर्स किसान कन्सद्रूपशन कम्पनी, गांव-दुजार, तहरील-लाडनूं, जिला-नागौर के "मेरानरी स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, रेफरेंस नं. - 20211000048069, कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता 100400 टन प्रतिवर्ष (रोप), क्षेत्रफल - 1.9738 हेक्टेयर एवं क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 टन प्रतिवर्ष (रोप), क्लस्टर क्षेत्र 9.9738 हेक्टेयर की पर्यावरणीय रक्षीकृति हेतु लोक सुनवाई।

स्थान :— भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. रोन्टर) गांव— दुजार, तहरील-लाडनूं, जिला—नागौर

जिला :— नागौर।

दिनांक :— 03.03.2023

समय :— प्रातः 11:00 बजे से

30.	मुक्तनाराय	११४२१७०२५५	मुक्तनाराय
31.	अर्जुन बाम	९८७२५०७८९०	Ajny
32.	कृष्णगढ़	९४२४०५९७७५	कृष्णगढ़
33.	निर्मला	९८४९९५०४२	निर्मला
34.	Vijay kuri	९४२४४६०६०७	Vijay
35.	Shivaji Godawari	८३४९९५१९३	Shivaji
36.	सीमा याप्ति नियम	८००३६२६०७७	सीमा याप्ति
37.	मुली राजा पटवारी	८६१९४९५४३०	Mulji
38.	रामचंद्र पुजापति रामचंद्रकिंशु अदिकर्णी	९४२४६०३४५१	Ram
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			

गुमानाराम लोयल, हरीराम बलायरा, प्रिया बिश्नोई, नरेन्द्र बिश्नोई, सुनीता लोहब, मानवेन्द्र सिंह व पीईओ परिषेत्र के समस्त संस्थापन उपस्थित रहे।



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल **भीम**

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिसलाइन के सामने,
नागौर - 341001 (राज.) ई-मेल : rorpcb.nagaur@gmail.com



ठमांक : - राष्ट्रनिम/आरओ-नागौर/पी.गू.बी-146/2006

दिनांक : 18.01.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

- सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "मेसोनरी स्टोन माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (Ref. no. 20211000046069, एम.एल.न.- 07/12, 11/10, 34/14, 05/18, 09/13, 03/18, 02/18), कुल क्लस्टर क्षेत्र 9.9798 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 TPA (ROM)", आवेदक मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, क्षेत्र - 1.9738 हेक्टेयर, खसरा न. 624/155, 686/155, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता नं. - 100400 TPA (ROM) सेलेबल मिनरल - 70280 TPA & वेस्ट मिनरल - 30120TPA), गांव दुजार, तहसील- लाडनू जिला- नागौर से सम्बंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- और यूकि मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु बन, पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नईदिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के ग्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
- उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बंधित समूह EIA/EMP Report एवं सक्षिप्त कार्यालय कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 - जिला क्लवटर, नागौर,
 - सीईओ जिला परिषद, नागौर,
 - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4. संस्थानिक क्षेत्र, झालाना इंगरी, जयपुर,
 - पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर,
 - क्षेत्रीय कार्यालय, बन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर,
 - उपखण्ड अधिकारी लाडनू,
 - क्षेत्रीय प्रबंधक, रिको, नागौर,
 - जिला उद्योग केन्द्र, नागौर,
 - ग्राम पंचायत दुजार,
 - भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव दुजार, तहसील- लाडनू, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण की कार्यालय जिला क्लवटर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक : न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2022/328 दिनांक 16.01.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे, स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव- दुजार, तहसील- लाडनू, जिला- नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप / सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला- नागौर को भी दिए जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केन्द्रीय/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी ग्रावधानों/ सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय : सविता, क्षेत्रीय अधिकारी

DNA-272416

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड, पुलिस लाइन के सामने, नागौर-341001 (राज.), ई-मेल- rorpcb.nagaur@gmail.com
रुमांक: राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-146/2006 दिनांक: 18.01.2023

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

01. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसोनरी स्टोन माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (Ref. No.- 20211000046069, एम.एल.नं. 07/12, 11/10, 34/14, 33/14, 05/18, 09/13, 03/18, 02/18), कुल क्लस्टर क्षेत्र- 9.9738 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 709172 TPA(ROM) आवेदक मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, क्षेत्र 1.9738 हेक्टेयर, खसरा नं. 624/155, 686/155, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 100400 TPA(ROM) (सेलेबल मिनरल-70280 TPA & वेस्ट मिनरल-30120 TPA), गांव-दुजार, तहसील-लाडनूं, जिला- नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
02. और चूंकि मैसर्स किसान कन्सट्रक्शन कम्पनी, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
03. उक्त समूह खनन परियोजना से संबंधित समूह EIA/EMP Report एवं सक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
 01. जिला कलेक्टर, नागौर।, 02. CEO जिला परिषद् नागौर।, 03. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालना इंगरी, जयपुर। 04. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर। 05. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर। 06. उपखण्ड अधिकारी, लाडनूं। 07. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर। 08. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर। 09. ग्राम पंचायत, दुजार। 10. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव- दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु.2022/335 दिनांक 16.01.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 (शुक्रवार) को प्रातः 11:00 बजे स्थान- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गांव दुजार, तहसील- लाडनूं, जिला- नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/पौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैशिवक महामरी कोविड-19 से संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

भवदीय

(सविता)

क्षेत्रीय अधिकारी